सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

माघ 10, सोमवार, *शाके* 1944-जनवरी 30, 2023
Magha 10, Monday , Saka 1944- January 30, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 24, 2023

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)

संख्या एफ.2(34)सानि/एएस/2022–23/डी– 3534 :–राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150) राज.–6/2016 /02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **(उपतहसील मुख्यालय बसई नवाब में बाईपास का निर्माण कार्य)** के प्रयोजनार्थ जिला धौलपुर में निम्नानुसार प्रभावित गांवो में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्रं.सं.	जिला	तहसील	गांव
1	धौलपुर	बाडी	बसई नवाब ए, बसई नवाब बी,जागीरपुरा,पिपहेरा

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारिण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बाडी **ए आर इन्टरनेशनल कन्सलटेन्सी 69 नालन्दा विहार, महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर** एजेन्सी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू– अर्जन से प्रभावित गांवो में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्याक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवो में संबंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्याकंन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सर्म्पक सूत्र

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड बाडी जिला धौलपुर 328021
ee_pwdbari@rediffmail.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

ए आर इन्टरनेशनल कन्सलटेन्सी
रोशन कुमावत
मोबाईल 9414876990
कार्यालय 69 नालन्दा विहार,
महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर
infoaric2017@gmail .com

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।